

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2010—आश्विन 15, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 17(ई)-95-2002-इक्कीस-ब (एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का संख्यांक 66) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप नियम (2) में,—

- (एक) शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 75/- (पचहत्तर रुपये)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये)” स्थापित किए जाएं;
- (दो) शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 300/- (तीन सौ रुपये)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक “रुपये 600/- (छः सौ रुपये)” स्थापित किए जाएं.

यह अधिसूचना इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

No. 17(E)-95-2002-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, in sub-rule (2),—

- (i) for the words, figure and bracket “Rs. 75/- (Rupees Seventy five)”, the words, figure and bracket “Rs. 150/- (Rupees One hundred fifty)” shall be substituted;
- (ii) for the words, figure and bracket “Rs. 300/- (Rupees Three hundred)”, the words, figure and bracket “Rs. 600/- (Rupees Six hundred)” shall be substituted;

This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.